प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 05.06.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5998 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत शनिचरा बाजार से कालर द्वारा चार पहिया द्वारा बाइक में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.राजेश पुत्र रामउजागिर सा0 निहैला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को ईलाज हेतु निजी वाहन की सहाय़ता से सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- आ0 ओमप्रकाश दीपक, आ0 अरुण कुमार गौंड़, हो0चा0 रामहित प्रजापति।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 74 वाहनों से 85,000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 74 वाहनों से 85,000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 271/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता प्रिंस उर्फ नागेश पुत्र छांगुर उर्फ विष्णु निवासी घोरांग थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 04.06.2025 को थाना धनघटा पर वादी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 05.06.2025 को अपहृता को बरामद करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, म0का0 सीता यादव।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को आबकारी अधि0 के मामलें में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 05.06.2025 को ***मा0न्यायालय सी0जे0 (एस0डी0) एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्ता को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 280/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्ता उर्मिला साहनी पुत्नी रामकुमार साहनी निवासी मोहल्ला महुली हट्टा रूईहट्टा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में दिनांक 02.10.2025 को उ0नि0 प्रवीण कुमार मय हमराह क्षेत्र में भ्रमण थे कि उपरोक्त अभियुक्ता देशी ठेके से 15 शीशी शराब खरीद कर अवैध रूप से बेच रही थी। मा0 न्यायालय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तार अभियुक्ता को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामलें मे 01 अभियुक्तग को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ''ऑपरेशन कनविक्शन''अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 05.06.2025 को ***मा0न्यायालय सी0जे0 (एस0डी0) एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरणः-

मु0अ0सं0 63//2002 धारा 379/411 भादवि थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रामअचल उर्फ झीनक पुत्र तीजू निवासी जमोहरा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 21.03.2002 को वादी श्री अशोक सिंह पुत्र दरोगा सिंह निवासी बढ़या टोला मधईपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर के खेत में धनिया काटते हुए पकड़ा गया जिसके उपरान्त दिनांक 21.03.2002 को थाना मेहदावल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त रामअचल उर्फ झीनक को धारा 379/411 भादवि0 के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया जुर्माना अदा न करने पर अभि0 को 03 माह का सादा कारावास भुगतना होगा।